बैठक की कार्यवाही

दिनांक 07.07.2018 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आहूत बैठक से संबंधित कार्यवाही

उपस्थिति :–

1. श्री अंजनी कुमार सिंह, माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी,
2. श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव, बिहार
3. श्री आर0 के महाजन, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग,
4. श्री राहुल सिंह, सचिव, वित्त विभाग,
5. श्री आनन्द किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
6. श्री आर0 एल0 चोंग्थू, सचिव, शिक्षा विभाग,
7. शिक्षा विभाग के मुख्यालय के वरीय पदाधिकारीगण।

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी एवं माननीय मुख्य सचिव का स्वागत करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे महत्वपूर्ण गतिविधियों की सूचना दी गयी। शिक्षा विभाग के उपस्थित पदाधिकारियों से अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर अपना–अपना विचार रखने को कहा गया।

2. उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने–अपने सुझाव दिये गये।

3. विचार विमर्श में प्राप्त सुझावों और शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने के लिए बैठक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

   (i) प्रतिदिन विद्यालय के प्रारंभ में विद्यालय के सभी बच्चों के द्वारा प्रार्थना की जाए। प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहें। बिहार राज्य के लिए एक प्रार्थना बनायी गयी है, उसे हर विद्यालय में गाया जाए। प्रार्थना सत्र से संबंधित वीडियों क्लीपिंग को वाट्सअप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपलोड करने की व्यवस्था हो। साथ ही loudspeakers के माध्यम से प्रसारित करने पर भी विचार किया जाए। साथ ही विद्यालय के रूटीन में अन्तिम घंटी खेल–कूद के लिए कर्णांकित किया जाए।

   (अनुपालन–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्)

   (ii) वर्ग 3 से 5 तक के वैसे बच्चें जो पढ़ना–लिखना एवं सामान्य गणित बनाना नहीं, जानते हैं उन्हें मध्याह्न भोजन के बाद एक साथ एकत्रित कर, उनके लिए विशेष सामग्री तैयार कराकर, पढ़ाने एवं गणित सिखाने का विशेष कार्यक्रम सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चलाया जाए।

   (अनुपालन–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्)

(iii) मध्य विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाए। सभी मध्य विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पदस्थापन सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकतानुसार संबंधित नियमावली में संशोधन भी किया जा सकता है।

(अनुपालन–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

(iv) माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के सतत् मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक वर्ग परीक्षा का आयोजन कर छात्र/छात्रावार रिकार्ड संधारण कर उन्हीं परीक्षाओं के आधार पर मेधावी छात्र को चिन्हित करते हुए उन्हें पुरस्कृत किए जाने की व्यवस्था की जाए।

(अनुपालन–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्)

(v) विद्यालय में छात्र संसद को चालू करते हुए उसे प्रभावी बनाया जाए एवं सभी प्रमुख कार्यों के लिए छात्र/छात्राओं में से प्रधानमंत्री, शिक्षामंत्री, सफाईमंत्री, खेल मंत्री आदि चुने जाएँ। वर्ग में मोनिटर की अवधारणा को पुनर्स्थापित करते हुए विद्यालय के शिक्षकों के साथ इनका साप्ताहिक बैठक कर पठन–पाठन एवं अनुशासन को सुदृढ़ किया जाए।

(अनुपालन–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्)

(vi) शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण की ठोस व्यवस्था को लागू किया जाए एवं निरीक्षण/अनुश्रवण के उपरान्त उस पर कार्रवाई (Follow up) सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में निरीक्षण पंजी का संधारण किया जाए और निरीक्षी पदाधिकारी/आगंतुकगण से उक्त पंजी पर हस्ताक्षर/टिप्पणी अवश्य प्राप्त किया जाए।

(अनुपालन–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्)

(vii) प्रतिष्ठित माध्यमिक विद्यालयों/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (जिला स्कूल एवं अन्य) में शिक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ कर उसे जिले के अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरण योग्य बनाया जाए।

(अनुपालन–बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

(viii) पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत शिक्षकों की सेवा दिये जाने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रशासनिक नियंत्रण में हो रही कठिनाई के निराकरण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। विद्यालय प्रबंधन में पंचायती राज की भूमिका को बिना कम किये जिला पदाधिकारी एवं उप–विकास आयुक्त की भूमिका रखी जाए। छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों के Rationlisation कार्य एक अंतिम तिथि निर्धारित कर संपन्न किया जाए।

(अनुपालन–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

(ix) माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और उसके प्रबंधन में शिक्षा विभाग की प्रभावकारी भूमिका लाने के लिए अलग से प्रस्ताव बनाया जाए।

(अनुपालन–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)

(x) प्रखण्ड स्तर पर प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के अनुश्रवण का दायित्व प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकरी का है। उनके द्वारा प्रभावी अनुश्रवण में कठिनाई हो रही है, क्योंकि प्रखण्ड अन्तर्गत विद्यालयों की संख्या सौ से ज्यादा है। इस स्थिति में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ प्रखण्ड स्तर से नीचे क्लस्टर स्तर पर कर्मियों के पदस्थापन हेतु व्यवस्था की जाए। प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय को मजबूत करने के लिए विभाग में पोशाक मद, साईकिल मद एवं छात्रवृत्ति मद में पर्यवेक्षण के लिए राशि कर्णांकित है जिसका उपयोग कर प्रत्येक प्रखण्ड में तीन अन्य कर्मी रखे जा सकते हैं।

(अनुपालन–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज्य परि० निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्)

(xi) बी०एस०ई०आई०डी०सी० के द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं नये भवन का निर्माण कराने के उपरान्त उसका हस्तान्तरण शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से संबंधित प्रधानाध्यापक को शीघ्र कराया जाए।

(अनुपालन–एम.डी., बी०एस०ई०आई०डी०सी०)

(xii) शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए समय–समय पर उच्च स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों के सम्यक् कार्यान्वयन (implementation) को सुनिश्चित करने हेतु विभाग के स्तर पर एक समर्पित (dedicated) कोषांग का गठन हो जो सीधे प्रधान सचिव के नियंत्रण में काम करें।

(अनुपालन–निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव)

(xiii) सरांशतः बिहार में शिक्षा की मुख्य समस्या है निर्णयों का अनुपालन नहीं होना, अनुशासन की कमी, उत्तरदायित्व का निर्धारण न होना, वर्ग 3 से 5 के बच्चों को पढ़ना एवं गणित बनाना नहीं आना एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता स्तरीय नहीं होना है। अभी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ठोस कार्रवाई की जाए एवं तीन माह में ठोस फलाफल दिखायें।

(अनुपालन–सचिव, शिक्षा विभाग)

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक : 09/विविध (गुणवत्ता शिक्षा)–21/2018 383 पटना, दिनांक 25/7/18
प्रतिलिपि : सचिव, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/एम.डी., बी0एस0ई0आई0डी0सी0/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आर०के० महाजन) 25/7/18
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/विविध (गुणवत्ता शिक्षा)–21/2018 383 पटना, दिनांक 25/7/2018
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/7/18
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 09/विविध (गुणवत्ता शिक्षा)–21/2018 383 पटना, दिनांक 25/7/2018
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से आज ही उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

25/7/18
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।